फर्द अहकाम

(नियम 15)

अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण

[illegible]राम पुत्र केशाराम सरगर | आशी पुत्री सुआनाराम सरगर

निवासी खारिया नीव | निवासी खारिया नीव

केस्म मुकदमा:– राजस्व विविध प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट. 1955 मु0न0 157/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
04/07/25	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्राथीगण ने राजस्व प्रा. पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 01/9/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	
1/9/25	अधिकारी उप. अप्रार्थी सं 12 की ओर से अधि. श्री वी.आर. चौधरी ने वकालतनामा पेश किया, लामि. हो अप्रार्थी सं. 1 से 6 तथा 13, 14 को नोटिस बाद तामील प्राप्त, लामि. हो। बावजूद इन्तजार तामीली अन्य पत्रावली आयन्दा दिनांक 17/9/25 को पेश हो। SDO सोजत	Note process प्रार्थी अधि. द्वारा दस्तावेज Surrender 18/9/25
17/9/25		
18/9/25	अधिकारी उप. अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रा. पत्र को नोटेड किया तथा आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। लिखा जाने का जवाब जरिये नोटेड दाखिल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नेवर ले का हो। बाद तामील लेख अग्रग्रत जमा हो। SDO सोजत	